	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 22, सोमवार, *शाके* 1947- जनवरी 12, 2026 Pausa 22, Monday, Saka 1947- January 12, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 04, 2025

संख्या:49/भू.अ./ज.स./2025/1726-1730:-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ Construction of Drain from Tail Distributary to Homes canal District Deeg में भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, डीग को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) डीग/कुम्हेर होगे।

विवरण

Construction of Drain from Tail Distributary to Homes canal Distt. Deeg कार्य के अन्तर्गत तहसील डीग-कुम्हेर में न्यू लिंक चैनल हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम -2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही प्रस्ताव जिला डीग।

क्रम. संख्या	परियोजना का नाम	गांव का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	Construction of Drain from Tail Distributary to Homes canal District Deeg	बदनगढ	बदनगढ	डीग	डीग	उपखण्ड अधिकारी डीग
2		चकसितारा	पला	कुम्हेर	डीग	उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर
3		माढेरा	बदनगढ	डीग	डीग	उपखण्ड अधिकारी

						डीग
4		मधुवना	बदनगढ	डीग	डीग	उपखण्ड अधिकारी डीग
5		तमरेर	तमरेर	कुम्हेर	डीग	उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर

फार्म-2

(देखे-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड डीग
	प्रस्तावित योजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षैत्र और प्रभावित क्षैत्र	Construction of Drain from Tail Distributary to Homes canal District Deeg के अन्तर्गत 11.5625 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई/ सुनवाईयॉ भी दें।	(1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और/ भू- स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिये समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार

	(सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होगे।	
(ड़)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।	हॉ
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड़ डीग में उपलब्ध

महेश कुमार राठी,
उप सचिव एवं अधी. अभि. (लैण्ड बैंक),
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।